



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1037

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19449 वर्ष 2025

जयकरण

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	चंद्र दत्त
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र दत्त और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को 18.03.1975 को लेखपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 31.08.2009 को सेवानिवृत्त हुए, फिर भी उन्हें 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दूसरा पदोन्नति वेतनमान और 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद तीसरा सुनिश्चित सेवा स्तरोंनयन नहीं दिया जा रहा है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, रिट याचिका का निपटारा करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतर्गत **रुषिभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर नगर निगम, जेटी 2022 (5) एससी 470** के दृष्टिगत विलंब और शिथिलता के मुद्दे की स्वीकार्यता और पात्रता को ध्यान में रखते हुए विचार हेतु अग्रसर होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।